B.Com(H)
P2-A/C(H)
Paper-III. BRF.

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
र.ज.ज. महाविद्यालय राजनगर
(मधुबनी)

Unit I → Concept and Essentials of Contract

सामान्यत: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले ऐसे ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व एवं अधिकार उत्पन्न करता है, उसे अनुबंध (Contract) कहा जाता है. अनुबंध अधिनियम के रूप में हमारे देश में 1 सितम्बर 1872 से लागू किया गया है. अनुबंध को संविदा के नाम से भी जाना जाता है. जिसमें कुछ शब्द को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है. विद्वानों की परिभाषा इस प्रकार है —

न्यायाधीश सामंड के अनुसार — "अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है तथा उसकी व्याख्या करता है."

न्यायाधीश सर फ्रेडरिक पोलॉक के अनुसार — "प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है."

न्यायाधीश लीक के अनुसार, — "अनुबंध वैधानिक होने की दृष्टि से एक ऐसा ठहराव है, जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा, जिसे प्रवर्तित करवाने के लिए दूसरे पक्षकार को वैधानिक अधिकार होगा."

ब्लैकस्टोन के अनुसार — "अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने या नहीं करने का ठहराव है, जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है."

उपरोक्त विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं एवं तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि — "अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है, तथा राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है. एवं पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है." —

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) के अंतर्गत अनुबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है —

Scanned with CamScanner

"अनुबंध एक ऐसा करार है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) होता है।"

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनुबंध मूलतः अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा वैध करार है जो किसी कार्य को करने या न करने के प्रस्ताव को स्वेच्छा से स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है, एवं ऐसे प्रतिफल से संबंधित होता है, जिससे कानूनी पक्षकारों के बीच अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते है, एवं जिन्हें कानूनी रूप से प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) तथा धारा 10 का अध्ययन करने के पश्चात एक अनुबंध के आवश्यक लक्षण स्पष्ट होते हैं, साथ ही साथ न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के आधार पर भी कई लक्षण स्पष्ट होते हैं। इन समस्त लक्षणों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है —

Essential elements
आवश्यक तत्व

(1) दो या दो से अधिक पक्षकार होना।
(2) प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना।
(3) वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होना।
(4) पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना।
(5) पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति का होना।
(6) वैधानिक प्रतिफल का होना।
(7) वैधानिक उद्देश्य का होना।
(8) निष्पादन की सम्भावना होना।
(9) ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न होना।
(10) वैधानिक औपचारिकताओं का पालन होना।
(11) निश्चितता (Certainty) का होना।

उक्त लक्षणों में से कुछ लक्षणों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है —

Scanned with CamScanner

(3) दो या दो से अधिक पक्षकार होना — एक वैध अनुबंध का यह महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है कि कम से कम दो पक्षकार का होना, जिसमें एक पक्षकार प्रस्तावक तथा दूसरा प्रस्ताव-ग्रहिता होना चाहिए। जब प्रस्ताव-ग्रहिता प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब वैध अनुबंध का निर्माण होता है। उदाहरणस्वरूप - क्रेता एवं विक्रेता, lessee तथा lessor एवं बीमा का अनुबंध।

(4) पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना — एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध करने वाले पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, इस संबंध में अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित क्षमता को बताया गया है—

(i) कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना।

(ii) स्वस्थ्य मस्तिष्क का होना

(iii) राज नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति जैसे- राजदूत, मंत्री एवं दिवालिया।

(5) पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति का होना — एक वैध अनुबंध के लिए केवल सहमति का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सहमति पक्षकारों के द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। यदि शारीरिक एवं मानसिक दबाव तथा धोखे से अनुबंध के लिए सहमति दी जाती है तो इसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है —

(i) उत्पीड़न

(ii) अनुचित प्रभाव

(iii) कपट

(iv) मिथ्या वर्णन तथा

(v) गलती के आधार पर।

(6) वैधानिक प्रतिफल का होना - एक वैध ठहराव के लिए वैध प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है। बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः व्यर्थ होते हैं। अतः प्रतिफल विधिपूर्ण एवं वास्तविक होना चाहिए तथा यह मुद्रा में मूल्यांकन योग्य होना चाहिए। प्रतिफल का पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है यदि पक्षकार संतुष्ट हों तो कम प्रतिफल भी अनुबंध को वैध बनाता है।

Scanned with CamScanner

निम्नलिखित परिस्थितियों से संबंधित प्रतिफल को अवैध माना जाता है—

(i) प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित प्रतिफल।
(ii) स्वेच्छा से किए गये कार्य के लिए प्रतिफल
(iii) स्थगनी अनुबंध के लिए प्रतिफल।

(8) निष्पादन की संभावना होना— वैसे ठहराव को वैध अनुबंध माना जाता है, जो पक्षकारों के द्वारा निष्पादन किया जा सके। कुछ ऐसे ठहराव जो प्रारंभ से ही असंभव होते हैं, उनका निष्पादन करना संभव नहीं होता। जैसे; आसमान से तारे तोड़कर लाना।

उपर्युक्त कुछ तत्वों के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में एक वैध अनुबंध के लिए इन सभी तत्वों का एक साथ पाया जाना आवश्यक होता है। यदि इनमें से किसी भी एक तत्व का अभाव होता है तो ठहराव वैध नहीं माना जाता है। ——

Scanned with CamSc